राजकीय महाविद्यालय भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 8/2005 से 3/2015

1 प्रारम्भिक

(क) प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN-A(Kha) (16)-10/95 Bharmour दिनाँक 06.07.2005 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय भरमौर को आरम्भ किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने महाविद्यालय में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाऐं प्रदान की।

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	डा0 के0सी0 कपूर	02.08.2005 से 28.07.2006
2	श्री महिन्द्र मल्होत्रा	29.07.2006 से 16.06.2007
3	डा0 कमल कान्त	17.07.2007 से 28.04.2008
4	श्री एस0एस0 गिल	17.07.2008 से 02.06.2011
5	श्री कुलदीप बन्टा	02.06.2011 से 10.09.2012
6	श्री सन्जीव शर्मा	10.09.2012 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	कम्पयूटर एवं इन्टरनैट निधि की वसूली न करना	8	0.14
2	महाविद्यालय के खाते में राशि जमा न करना	9	0.06
11	युवा महोत्सव के भाग लेने हेतु छात्रों को किए गए दैनिक भत्ते के भुगतान तथा अन्य भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐं	11	विवरण पैरे में दिया गया है

2 वर्तमान अंकेक्षण

महाविद्यालय के अवधि 8/2005 से 3/2015 छात्र निधि लेखों के प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक) व श्री संदीप कमल (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 27.5.2015 से दिनाँक 16.06.15 के दौरान महाविद्यालय के परिसर में सम्पन्न किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
आय	08/2005	06/2006	08/2007	06/2008	06/2009
व्यय	02/2006	12/2006	10/2007	12/2008	10/2009

वित्तीय वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
आय	06/2010	06/2011	06/2012	07/2013	07/2014
व्यय	12/2010	11/2011	12/2012	09/2013	11/2014

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए जिम्मेवार नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय महाविद्यालय भरमौर के अवधि 8/2005 से 3/2015 के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क महाविद्यालय की वार्षिक वूसलियों के आधार पर कुल ₹50000/– आँका गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	वर्ष	वर्ष की कुल वसूलियाँ	अंकेक्षण शुल्क
1	2005–06	51075	5000
2	2006–07	106275	5000
3	2007–08	50499	5000
4	2008–09	51034	5000
5	2009–10	53635	5000
6	2010–11	108549	5000
7	2011–12	149057	5000
8	2012–13	119782	5000
9	2013–14	128392	5000
10	2014–15	153620	5000
		योग	**50000**

इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेंश शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD (Audit) 2015-16/61 दिनाँक 10.06.2015 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय महाविद्यालय भरमौर द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की विभिन्न छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। महाविद्यालय की निधिवार वित्तीय स्थिति का अन्तशेष सहित विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क"** में भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2005–06	0	51075	269	51344	29937	21407
2006–07	21407	106275	363	128045	102275	25770
2007–08	25770	50499	1480	77749	31940	45809
2008–09	45809	51034	932	97775	43963	53812
2009–10	53812	53635	2252	109699	41513	68186
2010–11	68186	108549	3999	180734	53792	126942
2011–12	126942	149057	3218	279217	112779	166438
2012–13	166438	119782	11395	297615	102555	195060
2013–14	195060	128392	9068	332520	107839	224681
2014–15	224681	153620	11289	389590	81825	307765

दिनाँक 31.03.15 को रोकड़ बही एवं पास बुक का निधिवार अन्तिम शेष इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	निधि का नाम	बैंक खाता संख्या	बैंक में 31.3.15 को शेष राशि	रोकड़ बही में 31.3.15 को शेष राशि
1	मिश्रित निधि व अन्य	3320	167993	167993
2	रौबर एवं रैन्जर	3322	74758	74758
3	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	3321	65014	65014
		कुल	**307765**	**307765**

5 वर्गीकृत रोकड़ बही (Classified Cash Book) तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया कि महाविद्यालय में विभिन्न फण्डों के लिए निम्नविवरणानुसार एक ही रोकड़ बही तैयार की गई थीः–

(क) मिश्रित निधिः– मिश्रित निधि, गृह परीक्षा, परिसर विकास निधि, फर्नीचर रिपलेसमैनट निधि, पहचान पत्र निधि, चिकित्सा निधि, एन0सी0सी0 निधि, छात्र ऐड निधि, सांस्कृतिक गतिविधि निधि, खेल निधि, ज्योग्राफी निधि, अनुपस्थिति जुर्माना निधि

(ख) लाईब्रेरी निधिः–लाईब्रेरी सिक्योरिटी निधि, बुक रिपलेसमैनट निधि

इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न फण्डों का लेखा–जोखा वर्गीकृत रोकड़ बही (Classified Cash Book) में नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में यह पता चलाना मुश्किल था कि किसी

विशेष निधि के खाते में एक निश्चित तिथि को कितनी राशि शेष थी एवं कितनी राशि उस निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च की जा सकती थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि एक से अधिक फण्डों की राशि का रख–रखाव करने के लिए वर्गीकृत रोकड़ बही तैयार करनी सुनिश्चित की जाए ताकि फण्डों की राशि को उनके उद्देश्यों हेतु तदानुसार प्रयोग किया जा सके।

6 रसीद बुकों का नियमानुसार अभिलेख तैयार न करना तथा रसीदों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से छात्र निधियों के एकत्रीकरण के लिए जो रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई थी, उनका भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इनको जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये, जिसके अभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें छपवाई गई, कितनी रसीद बुकें जारी की गई थी और कितनी रसीद बुकें शेष है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों के अभिलेख उचित प्रकार से रखने हेतु रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर में लेने के पश्चात ही सम्बन्धित कर्मचारी को नियमानुसार पावती प्राप्त करके ही जारी करना सुनिश्चित किया जाये।

7 जुर्माना निधि की वसूली हेतु नियमानुसार रजिस्टर तैयार न करना

जाँच में पाया कि महाविद्यालय द्वारा जुर्माना निधि की वसूली हेतु रजिस्टर नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था एवं जुर्माना निधि के रूप में वसूली गई राशि की प्रविष्टियाँ निधि एकत्रीकरण रजिस्टर में नहीं की गई थी और न ही इसकी कोई रसीद जारी की गई थी, जिसके अभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि विद्यार्थियों से जुर्माना निधि के रूप में वसूली गई समस्त राशि सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई थी अथवा नही? अतः जुर्माना निधि का रजिस्टर नियमों के अनुसार तैयार करके जुर्माना निधि के रूप में वसूली गई राशि की प्रविष्टियाँ निधि एकत्रीकरण रजिस्टर में करनी सुनिश्चित की जाए।

8 कम्पयूटर एवं इन्टरनैट निधि की ₹14300/– की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 के दौरान विद्यार्थियों से कम्पयूटर एवं इन्टरनैट निधि की वसूली नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, के पत्र संख्या EDN-A-Kha (8) 1/2001 दिनाँक 01.06.2010 के अनुसार इस निधि की प्रतिवर्ष ₹20/– प्रति विद्यार्थी की दर से वसूली करनी अपेक्षित थी। इस प्रकार इस निधि की निम्न विवरणानुसार ₹14300/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

वर्ष	विद्यार्थियों की सं0	दर ₹ (P.A.)	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
2010–11	135	20	2700	–	2700
2011–12	128	20	2560	–	2560
2012–13	126	20	2520	–	2520
2013–14	136	20	2720	–	2720
2014–15	190	20	3800	–	3800
			कुल वसूली योग्य राशि		**14300**

उक्त अनियमितता की सूचना महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60 दिनाँक 10.06.15 द्वारा दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त निधि के रूप में ₹14300/– की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही सम्पूर्ण निधियों की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 महाविद्यालय के खाते में ₹6626/–जमा न करने बारे

(क) वर्ष 2006–07 में रसीद संख्या 783551 से 783576 द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ₹5626/–की प्राप्त की गई थी, लेकिन इस राशि को महाविद्यालय के खाते में जमा नहीं करवाया गया था। प्रधानाचार्य को अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनाँक 05.06.15 द्वारा इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अवगत करवाया गया था, लेकिन अंकेक्षण के दौरान उनके द्वारा इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः उक्त राशि को जमा करने से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच में पाया कि माह 7/2014 में B.A. IIIrd समैस्टर के विद्यार्थियों से अवधि 01.04.14 से 30.09.14 की मिश्रित एवं अन्य निधियों के रूप में ₹25734/– की वसूली की गई थी एवं इसकी प्रविष्टियाँ निधि एकत्रीकरण रजिस्टर के पृष्ठ 90 एवं 144 में की गई थी, लेकिन रोकड़ बही में भी ₹24734/– की प्रविष्टि की गई थी तथा बैंक में भी ₹24732/– ही जमा की गई थी। इस प्रकार महाविद्यालय की मिश्रित निधि के खाते में ₹1000/– कम जमा की गई थी। अतः ₹1000/– कम जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित निधि के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अन्य महाविद्यालयों से स्थानान्तरित विद्यार्थियों से फण्डों के रूप में ₹3036/– की वसूली न करने बारे

वर्ष 2005–06 में इस महाविद्यालय में 12 विद्यार्थी राजकीय माध्यमिक धर्मशाला एवं चम्बा से स्थानान्तरित होकर आए थे एवं अभिलेखों की जाँच में पाया कि इन विद्यार्थियों से केवल Admission Fees एवं Library Security की ही वसूली की गई थी तथा विभिन्न छात्र निधियों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹3036/–की वसूली नहीं की गई थी। अतः फण्डों की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि सम्बन्धित निधि के खातों में जमा करनी सुनिश्चित की जाए एवं की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Students	Roll No.	Class & Session	Migrated From	Annual Charges/Monthly Charges
1	Sh. Ajay Kumar	23	B.A.I, 2005-06	G.D.C Dharmshala	House Examination, Medical, Campus Development, Book Replacment, Furniture repair, Identity Card, Magezine, Student Aid, Culture, Activity, ₹103/- P.A. Amalgamated fund, Rover & Renjer fund ₹25/- P.M.x6Month=₹150
2	Sh. Subhash Kumar	29	-do-	-do-	
3	Sh. Baljinder Singh	32	-do-	-do-	
4	Sh. Vinod Kumar	33	-do-	GDC Chamba	
5	Sh. Anil Kumar	34	-do-	-do-	
6	Sh. Ashwani Kumar	35	-do-	-do-	
7	Sh. Parveen Kumar	36	-do-	-do-	
8	Sh. Rakesh Kumar	37	-do-	-do-	
9	Sh. Daulat Ram	38	-do-	-do-	
10	Sh. Raveen kumar	41	-do-	-do-	
11	Sh. Suresh Kumar	42	-do-	G.D.C Dharmshala	
12	Sh. Surinder Kumar	43	-do-	-do-	

11 युवा महोत्सव के भाग लेने हेतु छात्रों को किए गए दैनिक भत्ते के भुगतान तथा अन्य भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐं

(क) दिनाँक 16.10.2007 को अग्रधन की ₹12000/– का भुगतान श्री मलकीत सिंह प्रवक्ता को महाविद्यालय के 15 छात्रों को दिनाँक 24.10.2007 तथा 25.10.2007 के दौरान राजकीय महाविद्यालय ऊना मे संपन्न हुये युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु उन पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु प्रदान किया गया। उक्त राशि के समायोजन वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि कुल व्यय में श्री मलकीत सिंह द्वारा 15 छात्रों को 5 दिन का ₹50 प्रतिदिन की दर पर कुल ₹250 का दैनिक भत्ते के रूप में भुगतान किया गया, परन्तु इन 15 छात्रों में से केवल 11 छात्रों द्वारा राशि प्राप्ति की रसीद/हस्ताक्षर किये गये तथा शेष 4 छात्रों श्री विवेक कुमार, श्री विनय कुमार, श्री वचन सिंह तथा श्रीमती अनुराधा देवी द्वारा कोई रसीद नहीं दी गई। अतः इन छात्रों से रसीदें प्राप्त न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं अन्यथा इन 4 छात्रों को दर्शाई गए भुगतान की ₹1040/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। इसके अतिरिक्त उपर वर्णित छात्रों को भुगतान किये गये दैनिक भत्ते के भुगतान की जाँच पर पाया गया कि दिनाँक 24.10.2007 व 25.10.2007 को सम्पन्न हुये समारोह के लिए उनके द्वारा दो दिन पहले अर्थात दिनाँक 22.10.2007 को यात्रा की गई दर्शाई गई व वापिसी की यात्रा प्रतियोगिता समाप्ति के अगले दिन अर्थात दिनाँक 26.10.2007 को की गई तथा तदानुसार छात्रों को दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया। अतः दिनाँक 22.10.2007 को की गई यात्रा हेतु 15 छात्रों को ₹50 प्रति छात्र की दर पर किये गये दैनिक भत्ते के कुल भुगतान ₹750/– को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा इस राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके इसे वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) दिनाँक 13.10.2008 को अग्रधन की ₹10000 तथा दिनाँक 18.10.2008 को अग्रधन की ₹5000 श्री मलकीत सिंह प्रवक्ता को महाविद्यालय के 15 छात्रों द्वारा दिनाँक 22.10.2008 व 23.10.2008 को राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में होने वाले युवा महोत्सव में भाग लेने पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु प्रदान की गई। इस राशि के समायोजन हेतु श्री मलकीत सिंह द्वारा कुल ₹15164/– के व्यय वाउचर प्रस्तुत किये गये तथा शेष ₹164 का भुगतान उनके द्वारा दिनाँक 30.12.2008 को किया गया। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई, जिनका निपटारा कर किये गये व्यय व समायोजन को उचित ठहराया जाये।

(i) दिनाँक 22.10.2008 को हमीरपुर में शूरू हो रहे युवा महोत्सव के लिये दो दिन पहले अर्थात दिनाँक 20.10.2008 को यात्रा शुरू की गई दर्शाई गई जिसके समर्थन में उनके द्वारा रिजनल मनेजर हिमाचल पथ परिवहन निगम का प्रमाण पत्र साथ संलग्न किया। जाँच में पाया गया कि यह प्रमाण पत्र उनके द्वारा दिनाँक 15.10.2008 को अर्थात यात्रा करने के 5 दिन पहले जारी किया गया था। उपरोक्त प्रतियोगिता दिनाँक 23.10.2008 को समाप्त हो गई परन्तु वापिसी यात्रा दो दिन बाद दिनाँक 25.10.2008 को दर्शाई गई, जोकि उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः दिनाँक 20.10.2008 को व दिनाँक 25.10.2008 को की गई यात्राओं को व इन दिनों के लिये 15 छात्रों को ₹75 प्रतिदिन की दर पर किये गये दैनिक भत्ते के भुगतान कुल राशि ₹2250 (15x75x2) को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ii) श्री मलकीत सिंह द्वारा नियन्त्रण अधिकारी ठहराव समिति हमीरपुर महाविद्यालय को दरी प्रभार के रूप में भुगतान की गई ₹390 की प्रतिपूर्ति समायोजन वाउचरों में दर्शा कर ली गई। रसीद की जाँच करने पर पाया गया कि दरी का शुल्क ₹100/– प्रति दिन था। इस प्रकार किसी भी गणना के आधार पर ₹390 का भुगतान नहीं बनता है तथा इसमें दिनाँक व राशि में ओवर राईटिंग करके दिनाँक 21.10.08 की ₹300 तथा दिनाँक 24.10.08 की ₹390 की गई प्रतीत होती है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित जाँच के उपरान्त व किसी भी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iii) इस भुगतान में श्री मलकीत सिंह द्वारा ₹620/– के व्यय का समायोजन मै0 शर्मा जनरल स्टोर भरमौर से बिल संख्या 184 व 185 दिनाँक 21.10.2008 के अन्तर्गत प्रतियोगिता में प्रयोग करने हेतु सामान की खरीद करने पर किया गया, जबकि उनके द्वारा दिनाँक 20.10.2008 को हमीरपुर के लिये यात्रा की गई दर्शाई गई है। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि जब उनके द्वारा भरमौर में यात्रा दिनाँक 20.10.2008 को ही कर ली गई थी तो दिनांक 21.10.2008 को भरमौर में खरीद किस प्रकार सम्भव हुई। इस सन्दर्भ में भी जाँच के उपरान्त वस्तुस्थिति स्थिति से आगामी अंकेक्षरण को अवगत करवाया जाये व किये गये व्यय को भी उचित ठहराया जाये।

(ग) दिनाँक 20.10.2010 को श्री अनिल शर्मा (प्रवक्ता) को महाविद्यालय के 15 छात्र छात्राओं को दिनाँक 28.10.2010 व 29.10.2010 को राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में सम्पन्न हुये युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु उन पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अग्रिम ₹20000/–

प्रदान की गई। इस अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर में उनके द्वारा दो दिन पहले यात्रा दर्शा करके तथा दो दिन बाद में वापिसी की यात्रा करके 15 छात्रों को ₹100/– प्रतिदिन की दर पर दिनाँक 26.10.2010 से 31.10.2010 के लिये छः दिन के दैनिक भत्ते की कुल ₹9000/– (15x100x6) का भुगतान किया गया दर्शाया गया, परन्तु युवा महोत्सव से दो दिन पहले व दो दिन बाद की गई वापिसी यात्रा के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर व की गई यात्रा व दैनिक भत्ते के भुगतान को उचित ठहराया जाये अन्यथा दिनाँक 26.10.2010 व 31.10.2010 को किये गये दो दिन के दैनिक भत्ते के भुगतान की कुल ₹3000 की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(घ) दिनाँक 3.11.2011 से 5.11.2011 के दौरान राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में सम्पन्न हुये युवा महोत्सव में महाविद्यालय के 15 छात्रों के भाग लेने पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु चन्चल कौशल को दिनाँक 18.10.2011 को अग्रिम ₹26000 प्रदान की गई। इस अग्रिम राशि के समायेाजन वाउचरों में भी दो दिन पहले व दो दिन बाद यात्रा की गई तथा 15 बच्चों को दिनाँक 1.11.11 से 7.11.11 तक 7 दिन का ₹100 प्रतिदिन की दर पर भुगतान दर्शाकर कुल दैनिक भत्ते की ₹10500/– का समायोजन किया गया, जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा दो दिन अर्थात दिनाँक 1.11.11 व 7.1.11 हेतु किये गये दैनिक भत्ते के भुगतान की कुल ₹3000 (15x100x2) की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ङ) वाउचर संख्या 7 दिनाँक 11.9.2013 के अन्तर्गत महाविद्यालय के (प्रवक्ता) को दिनाँक 17.9.2013 से 20.9.2013 के दौरान सुन्दरनगर में सम्पन्न हुये युवा महोत्सव में भाग लेने वाले 14 छात्रों पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु प्रदान की गई अग्रधन की ₹30000/– के समायोजन वाउचर में कुल ₹12096 (432x2x14) का व्यय छात्रों की यात्रा के (किराय) के रूप में स्वरूप किया गया है, परन्तु इस व्यय के समर्थन में उनके द्वारा कोई टिकट नहीं लगाया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि क्या इस यात्रा हेतु हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से 50**%** की छूट प्राप्त की गई थी अथवा नही? अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(च) महाविद्यालय द्वारा दिनाँक 12.10.2006 को ₹13000/– का भुगतान अग्रधन के रूप में श्री मलकीत सिंह, प्रवक्ता हिन्दी को दिनाँक 15.10.2006 से 19.10.2006 के दौरान राजकीय महाविद्यालय नाहन में सम्पन्न हुए युवा महोत्सव में महाविद्यालय के छात्रों पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु प्रदान किया गया। उक्त अग्रिम राशि के समायेाजन वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि कुल व्यय में श्री मलकीत सिंह द्वारा ₹840/– का व्यय मै0 शान्ता जनरल स्टोर भरमौर को उनके बिल संख्या 24 दिनाँक 23.10.2006 के अन्तर्गत 12 सैट नथ प्रति सैट नथ ₹30 की दर से कुल ₹360 तथा 12 सैट टिका प्रति सैट टिक्का ₹40 की दर से कुल ₹480/– की खरीद करने पर किया गया। यह खरीद उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि जिस युवा महोत्सव में प्रयोग करने हेतु खरीद की गई, वह दिनाँक 19.10.2006 को नाहन में सम्पन्न हो चुका था, जबकि उक्त सामान की खरीद 4 दिन बाद अर्थात दिनाँक 23.10.2006 को भरमौर में की गई। इसके अतिरिक्त युवा महोत्सव में 7 छात्राओं ने भाग लिया था, जबकि खरीद 12 सैट की दर्शाई गई है तथा सामान की कोई स्टाक प्रविष्टि भी नहीं ली गई, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सामान की अनावश्यक खरीद की गई दर्शाई गई है। अतः जाँच के उपरान्त उक्त की गई खरीद को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर व अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

12 वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हेतु क्रय किए गए स्मृति चिन्ह तथा पुस्तकों का स्टॉक प्रविष्टियाँ/वितरण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

(क) दिनाँक 9.4.2008 को अग्रधन की ₹8000/– का भुगतान, श्री मुकेश कुमार प्रवक्ता को दिनाँक 14.4.2008 को आयोजित हुए महाविद्यालय के वर्ष 2007–08 के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु प्रदान किया गया। इस राशि के समायोजन वाउचर में श्री मुकेश कुमार द्वारा कुल ₹7920/– के व्यय वाउचर प्रस्तुत किये गये, जिसमें उनके द्वारा मै0 अतुल जनरल स्टोर चम्बा के बिल संख्या 1251 दिनाँक 1.4.2008 के अन्तर्गत 36 स्मृति चिन्ह की खरीद करने पर ₹2080 का व्यय, मै0 विकास जनरल स्टोर चम्बा के बिल संख्या 4161 दिनाँक 31.3.2008 के अन्तर्गत 11 पुस्तकों की खरीद करने पर ₹1824/– का व्यय तथा बिल संख्या 4160 दिनाँक 31.3.2008 के अन्तर्गत 17 पुस्तको की खरीद करने पर ₹1914/– का व्यय भी किया गया दर्शाया गया है, परन्तु उनके द्वारा खरीदे गये 36 स्मृति चिन्ह व 28 पुस्तकों की न तो कोई स्टॉक प्रविष्टि की गई न ही वितरण

सम्बन्धित कोई अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए है। अतः जाँच के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापित प्रस्तुत किए जाए।

(ख) शिक्षा सत्र 2010—11 व 2011—12 में महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में छात्रों को पुरस्कार में वितरण हेतु निम्नलिखित खरीद की गई।

शिक्षा सत्र	भुगतान की तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	खरीदे गये सामान का विवरण	राशि
2010—11	14.12.10	मै0 किरण बुक वर्ल्ड, जालन्धर बिल संख्या 331 से 334	70 पुस्तके	7540
		मै0 जल्टा ईण्डस्ट्री, जालन्धर	123 स्मृति चिन्ह	8414
			कुल राशि	15954
2011—12	28.11.11	मै0 वियर एण्ड बिन सैक्टर 17 सी चण्डीगढ़	142 स्मृति चिन्ह	12982
		मै0 ईग्लिश बुक शॉप सैक्टर 17 सी चण्डीगढ़	98 पुस्तकें	10989
			कुल राशि	**23971**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इन सभी बिलों के पीछे यह प्रमाण पत्र दिया गया कि सारा सामान पुरस्कार वितरण समारोह में बाँट दिया गया शेष शून्य रहा, परन्तु सामान किसे बाँटा गया, किस छात्र को कितनी राशि के पुरस्कार में क्या—क्या सामान दिया गया, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया और न ही वितरण से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए। अतः वाँछित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके की गई खरीद व वितरण को उचित ठहराया जाए।

13 विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रदान की गई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना तथा अग्रिम राशि के रजिस्टर का निर्माण न करना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार अग्रधन की राशियाँ विभिन्न खेलककूद प्रतियोगिताओं पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु प्रदान की गई है, परन्तु लगभग 7 वर्ष बीत जाने पर भी सम्बन्धित अधिकारियों/प्रवक्ताओं द्वरा इनका समायोजन नहीं करवाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर समस्त राशियों का समायोजन/वसूली की जाए तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त अग्रिम राशि के रजिस्टर की जाँच में पाया कि अग्रिम राशि के समायोजन की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं की जा रही है, जिससे अग्रिम रजिस्टर

में सभी अग्रिम राशियाँ असमायोजित ही प्रदर्शित हो रही है। अतः अग्रिम राशियों के समायोजन के दौरान ही इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर में करनी सुनिश्चित की जाए ताकि अग्रिम राशि की सही स्थिति का पता चल सके। भुगतान की गई राशियों का विवरण निम्नलिखित हैः–

वाउचर सं0 व तिथि	जिसे अग्रधन राशि प्रदान की गई	राशि
शून्य दिनाँक 30.12.08	श्री मुनीष कुमार, प्रवक्ता	810
10 दिनाँक 10.10.12	श्री धनवीर सिंह, प्रवक्ता	2000

14 महाविद्यालय द्वारा छपवाई गई पत्रिकाओं पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) दिनाँक 12.6.2007 को मै0 मणीमहेश प्रिन्टर्ज भरमौर से उनके बिल संख्या 785 दिनाँक 20.4.2007 के अन्तर्गत कालेज पत्रिकाओं की कुल 125 प्रतियाँ छपवाने पर ₹30 प्रति मैगजीन की दर से कुल ₹3750/– का भुगतान किया गया। इन पत्रिकाओं की न तो कोई स्टॉक प्रविष्टि ली गई और न ही कोई वितरण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा सत्र 2006–07 में महाविद्यालय के छात्रों की संख्या केवल 92 थी। अतः छात्रों की संख्या से अधिक पत्रिकाओं छपवाने के कारण स्पष्ट किए जाये तथा छपवाई गई 125 पत्रिकाओं के वितरण सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

(ख) महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छात्रों से महाविद्यालय पत्रिका शुल्क के रूप में ₹50 प्रति छात्र की दर से वसूल किये जाते है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छपवाई जा रही पत्रिकाओं पर छात्रों से वसूली गई राशि से अधिक व्यय किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

शिक्षा सत्र	दिनाँक	छपवाई गई पत्रिकाओं की मात्रा	दर प्रति एक	छात्रों से की गई वसूली से अधिक व्यय की गई
2011–12	9.9.11	100 नं0	65.25	15.25
2012–13	7.5.12	100 नं0	60.00	10.00
2013–14	25.6.13	100 नं0	60.00	10.00
2014–15	14.8.14	100 नं0	65.00	15.00

अतः छात्रों से वसूली गई राशि से अधिक मूल्य पर पत्रिकाओं के छपवाए जाने को नियमानुसार उचित ठहराया जाये तथा सक्षम अधिकारी से इस सन्दर्भ में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की

उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) जाँच में पाया कि महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष पत्रिकाअें छपवाई गई थी लेकिन इन पत्रिकाओं का भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज करने के उपरान्त खारिज नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण के दौरान ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत किए गये जिससे यह पता चल सके कि पत्रिकाओं का वितरण छात्रों को किया गया था अथवा नही? अतः पत्रिकाओं के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अव पत्रिकाओं के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त इन्हें भण्डार रजिस्टर से तदानुसार निर्गमित करना सुनिश्चित किया जाए।

15 मिश्रित निधि में परीक्षा निधि शुल्क के रूप में भुगतान की ₹3680/– से सम्बन्धित अनियमितताएं

दिनाँक 31.12.2005 को मिश्रित निधि से ₹3680/– की निकासी परीक्षा नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को महाविद्यालय के बी0ए0 प्रथम वर्ष के छात्रों के परीक्षा शुल्क के रूप में से अदायगी के लिए की गई। मिश्रित निधि से छात्रों के परीक्षा शुल्क हेतु किया गया भुगतान निधि पर उचित प्रभार नहीं है, जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके इस राशि को वापिस निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। इसके अतिरिक्त इस भुगतान से सम्बन्धित कोई बिल/वाउचर, रसीदें तथा अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

16 महाविद्यालय द्वारा क्रय की गई पुस्तको से सम्बन्धित अनियमितताऐं

(क) चयनित माह 11/2012 के वाउचर संख्या 2 दिनांक 30.11.2012 की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय निधि से ₹13586/– मूल्य की विभिन्न पुस्तकों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए किया गया था और इन पुस्तकों की अनुमोदित मूल्य सूची भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए तथा बिना अनुमोदित मूल्य सूची के आधार पर क्रय की गई पुस्तिकों की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से कार्यात्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री	राशि
1	वाउचर संख्या 2 दिनाँक 30.11.12	Bill No. 1785 Dated 10.09.12 M/S Prem General Store, Chamba	Books	2705

2	वाउचर संख्या 2 दिनांक 30.11.2012	Bill no. 1786 Dated 10.09.12 M/S Books Prem General Storte, Chamba	10881
		योग	**₹13586**

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच में पाया कि पुस्तकालय निधि से चयनित माह 11/2011 एवं 08/2013 में निम्नविवरणानुसार ₹20278/– का खर्चा दर्शाया गया था, लेकिन इन व्ययों के समर्थन में सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे इन व्ययों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में निम्नलिखित व्ययों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	बिल का विवरण	वाउचर संख्या	राशि
1	Bill No. 843 dated 06.12.11 M/S Book Seller Chandigarh	Vr. No. 4 of 11/11	9199
2	Bill No. 304 Dated 07.12.11 M/S English Book Shop, Chandigarh	-do-	9504
3	Bill not mentioned	08/2013	1575
		कुल	**20278**

17 अनावश्यक खरीद करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार बिना किसी आवश्यकता के खरीद की गई है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(क) दिनाँक 12.9.2006 को मै0 मानव विकास प्रिन्टर्ज से 7 रोकड़ बहियों की खरीद ₹350 प्रति रोकड़ बही दर पर कुल ₹2450 की गई, जिनका स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 173 पर ईन्द्राज लिया गया। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 9 वर्ष बीत जाने पर भी अभी केवल एक ही कैश बुक की खपत की गई है।

(ख) वाउचर संख्या 13 दिनाँक 29.10.13 के अन्तर्गत मै0 मणीमहेश प्रिन्टिग प्रैस से उनके बिल संख्या 27 दिनाँक 21.10.2013 के अन्तर्गत 30 नम्बर सी0सी0ए0 रजिस्टर की खरीद करने पर ₹5250/– का भुगतान किया गया। उक्त सामान की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 16 पर ली गई तथा स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 1½ वर्ष बीत जाने पर भी एक भी रजिस्टर प्रयोग में नहीं लाया गया है।

(ग) ज्योग्राफी विभाग के लिये दिनाँक 11.12.2013 को 20 पैन्सिल तथा 20 ईरेजर की खरीद की गई, जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 1 व 3 के अनुसार स्टॉक में 2 पैकेट पैन्सिल व 80 ईरेजर दिनाँक 3.12.2012 से शेष बकाया पड़े थे। इसी प्रकार दिनाँक 4.12.2014 को ₹340 का

व्यय करके 2 पैकेट स्केल की खरीद की गई, जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 2 अनुसार दिनाँक 3.12.2012 से 15 स्केल अभी स्टॉक में शेष पड़े थे।

अतः अनावश्यक खरीद का कारण स्पष्ट करके किए गए व्यय को उचित ठहराया जाए तथा भविष्य में केवल जरूरत के अनुसार ही खरीद का किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18 प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया कि महाविद्यालय के भण्डारण रजिस्टर में दर्शाई गई सामग्री का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक के सामान का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अविलम्ब स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाकर भविष्य में वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणीः– यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु छोटी–2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

20 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में बहुत अधिक सुधार की आवश्कयता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(7)120/05–5839–5843 दिनांक 06.10.2015,
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001.
3. उप निदेशक शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
4. विशेष सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002
5. श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक द्वारा...................................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.